

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 अगस्त 2024—श्रावण 18, शक 1946

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं
कार्यालय, नगरपालिका परिषद, बैरसिया, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश
बैरसिया, दिनांक 9 अगस्त 2024

क्रमांक/स्था./2024/1720 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर पालिका परिषद बैरसिया जिला भोपाल की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची-एक

नगर पालिका परिषद बैरसिया जिला भोपाल

अनुसूची - दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा)	सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या)	योग	निशक्त जनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9+10)	रिमांक
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसने सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बीनायन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी (1.5%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		सफाई संरक्षक (नियमित)	21	63	1	1	0	0	0	1	-
2	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (संविदा)	42		3	1	1	1	0	3	-
योग			63	63	3	2	1	1	0	4	-

जाहद अली, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, जावद, जिला नीमच, मध्यप्रदेश

जावद, दिनांक 19 जुलाई 2024

कमांक/स्था./955 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्याक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबन्धों के अधीन नगर परिषद जावद जिला नीमच की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद द्वारा पदों को विन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची-एक
नगर परिषद जावद जिला नीमच म.प्र.
अनुसूची - दो
दिव्यांगजनों के लिए पदों का विन्हांकन

स. क्र.	श्रेणी	पद / रावग का नाम (नियमित/संविदा)	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद (संख्या)	योग	नि:शकाजनों के लिए 6 प्रति. के अनुसार विन्हांकित किये जाये हेतु पदों की संख्या (6प्रति.)	दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित वर्गवार शिक्ता				योग (6+7+8+9)	पृष्ठांक
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (15%)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकोगीटर डिसेबिलिटी जिरामे सम्मिलित हे शिक्ता. पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, वीनापन, एरिड अटेक पीडित, गरकुल र डिस्ट्राफी (15%)	ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता रपेशिफिक सर्जिंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकसांगता (15%)		
1	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (नियमित)	11	34	01	0	1	0	0	1	12
2		सफाई संरक्षक (संविदा)	23		01	0	0	01	0	01	
योग			34	34	02	0	1	01	0	02	

जगजीवन शर्मा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, बाडी, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

बाडी, दिनांक 2 अगस्त 2024

क्रमांक/स्था./2024/1185 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद बाडी जिला रायसेन की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्द्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची-एक

नगर परिषद बाडी जिला रायसेन

अनुसूची - दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	श्रेणी	पद/ संवर्ग का नाम (नियमित/ संविदा)	सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या)	योग	निशक्त जनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6 %)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+ 8 + 9 + 10)	रिमांक
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी (1.5%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		सफाई संरक्षक (नियमित)	13		1	0	1	0	0	1	-
2	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (संविदा)	26	39	2	0	0	1	1	2	-
योग			39	39	3	0	1	1	1	3	-

निरूपमा शाह यादव, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, सिलवानी, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

सिलवानी, दिनांक 2 अगस्त 2024

क्रमांक/स्था./2024/667 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद सिलवानी जिला रायसेन की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्द्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची-एक

नगर परिषद सिलवानी जिला रायसेन

अनुसूची - दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	श्रेणी	पद/ संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा)	सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या)	योग	निशक्त जनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6 %)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+ 8 + 9 + 10)	रिमार्क
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्क्युलर डिस्ट्राफी (1.5%)	ऑटिज़्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		सफाई संरक्षक (नियमित)	12		1	0	1	0	0	1	-
2	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (संविदा)	25	37	2	0	0	1	1	2	-
योग			37	37	3	0	1	1	1	3	-

निरूपमा शाह यादव, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, माचलपुर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश

माचलपुर, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक/स्था./2024/... दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा
क्र. 838-न.प.-2024-
101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन
नगर परिषद माचलपुर जिला राजगढ़ की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए
एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची-एक

नगर परिषद माचलपुर जिला राजगढ़

अनुसूची - दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	श्रेणी	पद/ संवर्ग का नाम (नियमित/ संविदा)	सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या)	योग	निशक्त जनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6 %)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+ 8 + 9 + 10)	रिमांक
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि बाधित (1. 5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1. 5%)	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुछ रोग मुक्त, बीनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुचिकलांगता (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		सफाई संरक्षक (नियमित)	6		0	0	0	0	0	0	-
2	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (संविदा)	13	19	1	0	1	0	0	1	-
योग			19	19	1	0	1	0	0	1	-

मनोज कुमार नामदेव, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, खिलचीपुर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश

खिलचीपुर, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक/स्था./2024/...2577 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद खिलचीपुर जिला राजगढ़ की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची-एक

नगर परिषद खिलचीपुर जिला राजगढ़

अनुसूची - दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा)	सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या)	योग	निशक्त जनों के प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6 %)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+)	रिमांक
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5%)	ब्रह्मे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एरिड अटेक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		सफाई संरक्षक (नियमित)	13		0	0	0	0	0	0	-
2	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (संविदा)	27	40	2	1	1	0	0	2	-
योग			40	40	2	1	1	0	0	2	-

अशोक कुमार पांचाल, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, महेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

महेश्वर, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक १३५ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद महेश्वर, जिला खरगोन की स्थापना में अनुसूची 02 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची - एक
नगर परिषद महेश्वर, जिला खरगोन

अनुसूची- दो
दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	पद/संवर्ग का नाम(नियमित/संविदा)	श्रेणी	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद की संख्या	योग	निशक्तजन के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगजन अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9 +10)
						दृष्टबाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5 %)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 %)	लोकमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बानापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5 %)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीगारी और बहुविकलांगता (1.5 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सफाई संरक्षक (नियमित)	चतुर्थ	18	7	1	1	0	0	0	1
2	सफाई संरक्षक (संविदा)	चतुर्थ	36	36	2	0	0	1	1	2
योग			54	43	3	1	0	1	1	3

मनोज शर्मा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद्, रेहटी, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

रेहटी, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक/स्था./2024/813 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद् रेहटी जिला सीहोर की स्थापना से अनुसूची 02 में विहित विशेषियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची-एक

नगर परिषद् रेहटी जिला सीहोर

अनुसूची -- दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा)	सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या)	योग	निश्चित जगहों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+8+9+10)	टिप्पणियाँ
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5)	लोकमोचीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, संरेखण पाल्सी, कृष्ण रोग मुक्त, बीनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्क्युलर डिस्ट्रोफी (1.5)	ऑटिज़्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेशिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलता (1.5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (नियमित)	08	23	0	0	0	0	0	0	-
2		सफाई संरक्षक (संविदा)	15		1	0	0	1	0	1	-
योग			23	23	1	0	0	1	0	1	-

राजेन्द्र कुमार यादव, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगरपालिका परिषद, आष्टा, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

आष्टा, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक/स्था./2024/866. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर पालिका परिषद आष्टा, जिला सीहोर की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची-एक

नगर पालिका परिषद आष्टा, जिला सीहोर

अनुसूची - दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम (नियमित / संविदा)	सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या)	योग	निशक्त जनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6 :).	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+ 8 + 9 + 10)	रिमांक
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5)	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्क्युलर डिस्ट्राफी (1.5)	ऑटिज़्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (नियमित)	35	35	0	0	0	0	0	0	-
2		सफाई संरक्षक (संविदा)	71	71	4	1	1	1	1	4	-
योग				106	4	1	1	1	1	4	

राजेश सक्सेना, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, कोठरी, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

कोठरी, दिनांक 2 अगस्त 2024

क्रमांक/स्था./2024/781 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद कोठरी जिला सीहोर की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्द्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची-एक

नगर परिषद कोठरी जिला सीहोर

अनुसूची - दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	श्रेणी	पद / संवर्ग का नाम (नियमित/संवैदा)	सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या)	योग	निशक्त जनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6 %)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+ 8 + 9 + 10)	रिमार्क
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बीनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		सफाई संरक्षक (नियमित)	7	21	0	0	0	0	0	0	-
2	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (संवैदा)	14		1	0	1	0	0	0	1
योग			21	21	1	0	1	0	0	1	-

नरेन्द्र कुमार जाटव, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, भैरुंदा, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

भैरुंदा, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक/स्था./2024/....5449 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद भैरुंदा जिला सीहोर की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्द्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची-एक

नगर परिषद भैरुंदा जिला सीहोर

अनुसूची - दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	श्रेणी	पद/ संवर्ग का नाम (नियमित/ संविदा)	सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या)	योग	निशक्त जनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6 %)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+ 8 + 9 + 10)	रिमार्क
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बीनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (1.5%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		सफाई संरक्षक (नियमित)	16	47	1	0	0	1	0	1	-
2	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (संविदा)	31		2	1	0	0	1	2	-
योग			47	47	3	1	0	1	1	3	-

प्रफुल्ल गठरे, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, जावर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

जावर, दिनांक 7 अगस्त 2024

क्रमांक/स्था./2024/...531 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद जावर जिला सीहोर की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची-एक

नगर परिषद जावर जिला सीहोर

अनुसूची - दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	श्रेणी	पद / संवर्ग का नाम (नियमित / संविदा)	सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या)	योग	निशक्त जनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6 :)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+ 8 + 9 + 10)	रिमांक
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5)	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्क्युलर डिस्ट्राफी (1.5)	ऑटिज़्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (नियमित)	05	16	0	0	0	0	0	0	-
2		सफाई संरक्षक (संविदा)	11		1	1	0	0	0	1	
योग			16	16	1	0	1	0	0	1	0

हरीश कुमार सोनी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगरपालिका परिषद, सीहोर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 7 अगस्त 2024

क्रमांक/स्था./2024/... 3449 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर पालिका परिषद सीहोर जिला सीहोर की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची-एक

नगर पालिका परिषद सीहोर जिला सीहोर

अनुसूची - दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा)	सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या)	योग	निशक्त जनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+ 8 + 9 + 10)	रिमार्क
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी (1.5%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		सफाई संरक्षक (नियमित)	73	219	0	0	0	0	0	0	-
2	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (संविदा)	146		9	3	2	2	2	2	9
योग			219	219	9	3	2	2	2	9	-

भूपेन्द्र कुमार दीक्षित, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, मंडीदीप, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक/स्था./मंडीदीप/2024/ 2279:: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016(2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर पालिका परिषद् मंडीदीप जिला रायसेन की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद् द्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है:-

अनुसूची-एक

नगर पालिका परिषद् मंडीदीप जिला-रायसेन म.प्र.

अनुसूची- दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्रं.	श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा)	सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या)	योग	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या					योग(7+8+9+10)	रिमांक
					निशक्तजनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6%)	दृष्टबाधित और कमदृष्टि, (1.5%)	बहरे और कम सुनने वाले, (1.5%)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, एसिड पीडित, डिस्ट्राफी, (1.5%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीगारी और बहुविकलांगता, (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (नियमित)	60	60	4	1	1	1	1	4	-
2	चतुर्थ	सफाई संरक्षक, (संविदा)	120	120	7	2	1	2	2	7	-
योग:-			180	180	11	3	2	3	3		11

सुधीर उपाध्याय, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, बेगमगंज, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

बेगमगंज, दिनांक 2 अगस्त 2024

क्रमांक/स्था./2024/1898 दिव्यांगजन आधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर पालिका परिषद बेगमगंज जिला रायसेन की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्द्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची-एक

नगर पालिका परिषद बेगमगंज जिला रायसेन

अनुसूची - दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	श्रेणी	पद/ संवर्ग का नाम (नियमित/ सविदा)	सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या)	योग	निशक्त जनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6 %)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+ 9 + 10)	रिमार्क
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि बाधित (1-5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1-5%)	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बीनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी (1.5%)	ऑटिज़्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		सफाई संरक्षक (नियमित)	23	68	1	1	0	0	0	1	-
2	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (सविदा)	45		3	1	1	0	1	3	-
योग			68	68	4	2	1	0	1	4	-

कृष्णाकांत शर्मा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, सिरोंज, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

सिरोंज, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक/स्था./2024/..4.7.5.4.. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर पालिका परिषद सिरोंज जिला विदिशा की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित दिशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची-एक

नगर पालिका परिषद सिरोंज जिला विदिशा

अनुसूची - दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	श्रेणी	पद/ संवर्ग का नाम (नियमित/ संविदा)	सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या)	योग	निशक्त जनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6 %)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+ 8 + 9 + 10)	रिमार्क
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बीनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5%)	ऑटिज़्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		सफाई संरक्षक (नियमित)	35		0	0	0	0	0	0	-
2	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (संविदा)	70	105	4	1	1	1	1	4	-
योग			105	105	4	1	1	1	1	4	-

पवन शर्मा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, लटेरी, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

लटेरी, दिनांक 7 अगस्त 2024

क्रमांक/स्था./2024/.1338 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद लटेरी जिला विदिशा की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्द्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची-एक

नगर परिषद लटेरी जिला विदिशा

अनुसूची - दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	श्रेणी	पद/ संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा)	सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या)	योग	निश्चित जनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6 %)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+ 8 + 9 + 10)	रिमांक
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुछ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्क्युलर डिस्ट्राफी (1.5%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुचिकित्सांगता (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		सफाई संरक्षक (नियमित)	13		1	0	0	0	1	1	-
2	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (संविदा)	25	38	2	0	0	1	1	2	-
योग			38	38	3	0	0	1	2	3	-

पवन शर्मा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, गंजबासौदा, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

गंजबासौदा, दिनांक 7 अगस्त 2024

क्रमांक/स्था./2024/7-2-SS. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर पालिका परिषद् गंजबासौदा जिला विदिशा की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्द्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची-एक

नगर पालिका परिषद् गंजबासौदा जिला विदिशा

अनुसूची - दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	श्रेणी	पद/ संवर्ग का नाम (नियमित/ संविदा)	सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या)	योग	निशक्त जनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6 %)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+ 8 + 9 + 10)	रिमांक
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (1.5%)	ऑटिज़्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		सफाई संरक्षक (नियमित)	52		0	0	0	0	0	0	-
2	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (संविदा)	105	157	6	1	1	2	2	6	-
योग			157	157	6	1	1	2	2	6	-

जयंत वर्मा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, विदिशा, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 7 अगस्त 2024

क्रमांक/स्था./2024/.. 3575 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर पालिका परिषद विदिशा जिला विदिशा की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्द्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची-एक

नगर पालिका परिषद विदिशा जिला विदिशा

अनुसूची - दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	श्रेणी	पद/ संवर्ग का नाम (नियमित/ संविदा)	सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या)	योग	निशक्ता जनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6 %)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+)	रिमार्क
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसने सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बीनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		सफाई संरक्षक (नियमित)	111	333	0	0	0	0	0	0	-
2	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (संविदा)	222		13	4	3	3	3	13	-
योग			333	333	13	4	3	3	3	13	-

अनिल बिदुआ, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, सुठालिया, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश

सुठालिया, दिनांक 1 अगस्त 2024

क्रमांक/स्था./2024/1533 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद सुठालिया जिला राजगढ़ की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची-एक

नगर परिषद सुठालिया जिला राजगढ़

अनुसूची - दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

क्र.	श्रेणी	पद/ संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा)	सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या)	योग	निशक्त जनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6 %)	दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (7+ 8 + 9 + 10)	रिक्त
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी (1.5%)	ऑटिज़्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		सफाई संरक्षक (नियमित)	7		0	0	0	0	0	0	-
2	चतुर्थ	सफाई संरक्षक (संविदा)	14	21	1	0	0	1	0	1	-
योग			21	21	1	0	0	1	0	1	-

इकरार अहमद, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.